



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 08.10.2026

- थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा ग्राम रैपालपुर के पास रास्ते के किनारे मिली अज्ञात मृतका की शिनाख्त कर हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।
- घटना में प्रयुक्त 01 लोहे की रॉड, मोटर साइकिल बजाज सीटी 100 व 01 मोबाइल फोन (मृतका का) भी बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना शिवली क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 05.10.2026 को समय करीब 10.40 बजे 112 नं० के माध्यम से सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम रैपालपुर में रेलवे क्रासिंग के पास रास्ते के किनारे उम्र करीब 20 से 22 वर्ष की 01 अज्ञात लड़की का शव मिला है। उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतका की शिनाख्त दिनांक 06.10.2026 को मृतका के परिजनों गंगा प्रसाद (दादा) एवं सुनील कुमार (चाचा) द्वारा शव की शिनाख्त रुबल पुत्री स्वर्गीय अनिल कुमार (उम्र लगभग 22 वर्ष) निवासी ग्राम मंगलीपुर थाना सचेण्डी, जनपद कानपुर नगर के रूप में की गई है। दिनांक 07.10.2026 को थाना शिवली पर वादी श्री गंगा प्रसाद पुत्र स्व० माधव प्रसाद निवासी ग्राम मंगलीपुर थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर द्वारा लिखित तहरीर उसकी पौत्री मृतका रुबल देवी पुत्री स्व० अनिल कुमार उम्र 22 वर्ष उपरोक्त का अभियुक्तगण द्वारा पीछा करने, राह चलते परेशान करना एवं एक राय होकर अभियुक्त शिवम द्वारा वादी की पौत्री को रास्ते से उठा ले जाना तथा मिलकर दुष्कर्म एवं उसकी हत्या कर शव को रैपालपुर गांव के सामने नहर पट्टी के पास फेंककर भाग जाने के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 336/2026 धारा 78(2)/70(1)/140(1)/103(1)/238-क/3(5) बीएनएस दिनांक 07.10.2026 बनाम 1. शिवम उर्फ बड़े पुत्र सतेन्द्र कमल निवासी ग्राम मंगलीपुर थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर उम्र 23 वर्ष 2. अमन पुत्र स्व० रामचन्द्र निवासी ग्राम विसायकपुर थाना रनिया जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दिनांक 07.10.2026 को थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत पवन तनय आश्रम रंजीतपुर गेट से पहले सड़क से अभियुक्तगण 1. शिवम उर्फ बड़े पुत्र सतेन्द्र कमल 2. अमन पुत्र स्व० रामचन्द्र गौतम उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बजाज सीटी 100 को बरामद किया गया व दिनांक 08.10.2026 को अभियुक्तगण से की गयी पूछताछ के दौरान घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया जिनकी निशादेही पर आलाकत्ल 01 लोहे की रॉड व मृतका का 01 मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1. शिवम उर्फ बड़े पुत्र सतेन्द्र कमल निवासी ग्राम मंगलीपुर थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर उम्र 23 वर्ष।
2. अमन पुत्र स्व० रामचन्द्र गौतम निवासी ग्राम विसायकपुर थाना रनिया जिला कानपुर देहात उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. हत्या में प्रयुक्त 01 लोहे की रॉड।
2. घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बजाज सीटी 100।
3. 01 मोबाइल फोन मृतका।

अभियुक्त शिवम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 336/2026 धारा 78(2)/70(1)/140(1)/103(1)/238-क/3(5) बीएनएस थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
2. मु०अ०सं० 132/2021 धारा 324/504 भा०द०वि० थाना सचेण्डी जनपद कानपुर नगर।

अभियुक्त अमन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 336/2026 धारा 78(2)/70(1)/140(1)/103(1)/238-क/3(5) बीएनएस थाना शिवली कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमरेन्द्र बहादुर सिंह
2. उ०नि० श्री अजय कुमार
3. उ०नि० श्री अरुण कुमार
4. म०का० 1413 शिवानी
5. का० 180 रवी कुमार
6. हे०का० 93 ब्रजेश कुमार
7. का० 945 अभिषेक कुमार